रखने, आदि के लिए कहना। न्यायिक सक्रियता की इस प्रवृत्ति की **विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है** जैसे- शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध, विशिष्ट विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले मामलों का निर्णय करने के लिए विशेषज्ञता की कमी। हालांकि, 'न्यायिक सक्रियता' की घटना **संवैधानिक न्यायालय का एक अनिवार्य पहलू है** क्योंकि:

- उच्चतम न्यायालय संवैधानिक रूप से **अनुच्छेद 32** के तहत उपयुक्त रिट जारी करके नागरिकों के **मूल अधिकारों की गारंटी** देने के लिए बाध्य है। इस प्रकार संविधान उच्चतम न्यायालय के द्वार पर दस्तक देने वाले नागरिकों को राहत प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपता है। इस संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने मूलभूत संरचना की अवधारणा पेश की, ताकि कोई भी मजबूत कार्यपालिका संविधान की पवित्रता को कमजोर न कर सके।
- संविधान का **अनुच्छेद 142** यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय इसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में आदेश को पारित कर सकता है, जोकि **"पूर्ण न्याय"** सुनिश्चित करने हेतु भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू किया जाएगा। इस प्रकार, विधि के शासन को सुनिश्चित करने के लिए संविधान उच्चतम न्यायालय से मौजूदा विधानों से परे जाने की अपेक्षा करता है। इसलिए, कई विधानों उदाहरणार्थ यौन उत्पीड़न, तीन तलाक, उभयलिंगी अधिकारों के लिए निर्देश उच्चतम न्यायालय से मिले हैं।
- संविधान का **अनुच्छेद 144** यह घोषणा करता है कि सभी प्राधिकरण, चाहे **नागरिक हों या न्यायिक, सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे।** इस प्रकार, भारत के भीतर किसी भी प्राधिकरण को कोई भी कानूनी आदेश जारी करने के लिए न्यायालय को सशक्त बनाता है।
- संविधान **'न्यायिक समीक्षा' का कर्तव्य** न्यायपालिका को सौंपता है, जिसके माध्यम से वह यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के सिद्धांतों का राज्य के कार्यों द्वारा उल्लंघन न हो। जैसे कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जाना, क्योंकि इसके द्वारा कार्यपालिका को न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अतिरिक्त प्रभाव देने की कोशिश की गई थी।
- इसके अतिरिक्त, जब राज्य के अन्य अंग अपना कर्तव्य निभाने में विफल हो जाते हैं, तो नागरिक **अंतिम शरणस्थली के रूप में न्यायपालिका के पास जाते हैं,** जो उन नागरिकों को निराश नहीं कर सकती जो संविधान एवं विधि द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों की मांग करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने यहां तक कि जनहित याचिका की व्यवस्था शुरू की है, जहां कोई भी व्यक्ति अनुचित लोक कार्यों के निवारण हेतु एक याचिका दायर कर सकता है।
- संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य के अनुसार, जबकि न्यायपालिका के कार्यों में से एक कार्य संविधान की व्याख्या करना हो सकता है, परंतु यह उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए, इसे यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के अन्य अंग संविधान द्वारा अधिदेशित अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और वर्तमान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, **कार्य पद्धतियों को विकसित करना चाहिए**।

इसलिए, न्यायपालिका की यह **न केवल नैतिक जिम्मेदारी है,** बल्कि नागरिकों को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने और संविधान के विभिन्न प्रावधानों को बनाए रखने के लिए **एक पवित्र संवैधानिक कर्तव्य भी है**। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह 'न्यायिक अतिक्रमण' अथवा 'न्यायिक दुस्साहस' न बनें, पर्याप्त ध्यान भी रखा जाना चाहिए।

9. Analyse the need to amend The Representation of People Act (RPA), 1951 to give more powers to the Election Commission of India to tackle the issue of criminalization of politics. (150 words) 10

राजनीति के अपराधीकरण की समस्या से निपटने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को और अधिक शक्तियां देने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 को संशोधित करने की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।

दृष्टिकोण:

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
- उन विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालिए जिनका पर्याप्त रूप से समाधान करने में RPA विफल रहा है।
- RPA में आवश्यक संशोधनों का सुझाव दीजिए।
- उचित निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।